

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /20, लखनऊ : दिनांक : 11 : फरवरी:: ,2020

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह मार्च-2020 में दिनांक 05.03.2020 एवं 06.03.2020 को पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री नरेन्द्र कुमार-IV, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ व श्री बुद्धेशमणि, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद सम्मिलित होंगे।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मुख्यालय पर लम्बित अपीलों के अतिरिक्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित अपीलों भी सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत की जायें।

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

ह0-11.2.20

(नीरजा सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 274 /2020, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।